	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
..1.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस प्रा. पत्र पर सुना गया। बाद - अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस प्रा. पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है, विन्दूवार आदेश अलग से टंकण किया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती कविता गोदारा आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :— 08 / 2020 निर्णय दिनांक : 03.01.2024

कुरड़ाराम बनाम जगदीश प्रसाद वगै0

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (ए) रा0 का0 अधिनियम 1955

बाबत कायम किये जाने रास्ता

कुरड़ाराम पुत्र तोलाराम जाति मेघवाल निवासी जाटावास, बगड़ तहसील व जिला झुंझुनूं – दौराने प्रार्थना पत्र मृतक

1/1 मदनलाल

1/2 श्योपालसिंह

1/3 कृष्णगोपाल

1/4 जयसिह

1/5 राजेश

पुत्रगण स्व. कुरड़ाराम पुत्र तोलाराम जाति मेघवाल निवासी जाटावास, बगड़ तहसील व जिला झुंझुनूं

———— आवेदक

बनाम

1. जगदीश प्रसाद पुत्र मालीराम जाति माली निवासी सेडू की ढाणी तन देसूसर तहसील व जिला झुंझुनूं
2. राधेश्याम पुत्र मालीराम जाति माली निवासी सेडू की ढाणी तन देसूसर तहसील व जिला झुंझुनूं
3. दीपचंद पुत्र चौखचंद जाति माली निवासी सेडू की ढाणी तन देसूसर तहसील व जिला झुंझुनूं
4. ज्ञान प्रकाश पुत्र चौखचंद जाति माली निवासी सेडू की ढाणी तन देसूसर तहसील व जिला झुंझुनूं
5. विज्ञान प्रकाश पुत्र चौखचंद जाति माली निवासी सेडू की ढाणी तन देसूसर तहसील व जिला झुंझुनूं
6. हजारीमल पुत्र चौखचंद जाति माली निवासी सेडू की ढाणी तन देसूसर तहसील व जिला झुंझुनूं – दौराने प्रार्थना पत्र मृत्यु

   6/1 श्रीमती मीरा देवी स्त्री स्व. हजारीमल जाति माली निवासी सेडू की ढाणी तन देसूसर तहसील व जिला झुंझुनूं

उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनूं (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

7. चौखचंद पुत्र मालीराम जाति माली निवासी सेडू की ढाणी तन देसूसर तहसील व जिला झुंझुनूं – दौराने प्रार्थना पत्र मृत्यु

7/1 श्रीमती नर्मदा देवी स्त्री चौखचंद जाति माली निवासी सेडू की ढाणी तन देसूसर तहसील व जिला झुंझुनूं

8. लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनूं

---- अनावेदकगण

उपस्थित अभिभाषक गण :–

1. श्री शिवनारायण सिंह – आवेदक की ओर से

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि प्रार्थी कुरड़ाराम ने जरिये अधिवक्ता श्री शिवनारायण सिंह एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम बगड़ पटवार हल्का बगड़ में हाल भूमि खसरा नं. 1866 रकबा 0.96 है0 स्थित है जिसमें आवेदक खातेदार काश्तकार है तथा मकान बना कर आबाद है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के उत्तर में सटकर अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1838 रकबा 0.62 है0, 1839 रकबा 0.34 है0 तथा खसरा नं. 1840 रकबा 0.93 है0 वाके ग्राम बगड़ में स्थित है। अप्रार्थीगण की खातेदारी की इस भूमि के उत्तर में भूमि खसरा नं. 1837 तादादी 1.67 है0 वाके ग्राम बगड़ स्थित है, जिसके उत्तर में झुंझुनूं से बगड़ रोड़ स्थित है। प्रार्थी अपने खेत में हमेशां से झुंझुनूं बगड़ रोड़ से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में ए बिन्दु से दक्षिण की तरफ मुड़कर खसरा नं. 1837 में से होते हुए बी बिन्दु पर खसरा नं. 1838 व 1840 के मध्य सीमा पर से स्थित रास्ता से होते हुए अपने खेत खसरा नं. 1866 में सी स्थान पर प्रवेश करता है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 7 को प्रार्थी के आवागमन में कभी कोई आपति नहीं हुई। खसरा नं. 1838 व 1840 के उत्तर में भूमि खसरा नं. 1837 में ए से बी बिन्दु तक रास्ता छोड़कर प्लॉटिंग की हुई है तथा रास्ता ए से बी में किसी प्रकार की आपति किसी को नहीं हुई है। प्रार्थी को अपने खेत तें आवागमन हेतु रास्ते की आवश्यकता है। अप्रार्थीगण ने कुछ समय पहले अपने खेत का आपसी समझाईस से बंटवारा कर लिया है तथा बी स्थान पर प्रार्थी के आवागमन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इस कारण प्रार्थी को न्यायालय में प्रार्थना पत्र दायर करना पड़ा।

विवेचन

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.02.2020 को दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को तलब किया गया तथा जवाब हेतु समुचित अवसर दिये गये। अनावेदक संख्या 1 से 7 की ओर से बावजूद तामील असालतन/वकालतन कोई भी उपस्थित नहीं आया, जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दौराने प्रार्थना पत्र प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की मृत्यु हो गई, जिनके कायम मुकाम विधिवारिसान को रिकॉर्ड पर लिया गया। रास्ते की मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार झुंझुनूं को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार द्वारा अपने पत्र क्रमांक

उपखण्ड अधिकारी
(राज.)

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व/251(क)/2021/619 दिनांक 01.07.2022 तथा पत्र क्रमांक राजस्व/251(क)/2023/841 दिनांक 21.12.2023 द्वारा प्रस्तावित रास्ते हेतु मौका रिपोर्ट भिजवाई गई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार बगड़ के झुंझुनूं चिड़ावा हाईवे टच के खसरा नं. 1837 में मध्य से 18 फुट का प्रचलित रास्ता मौजूद है। दोनों रिपोर्ट के तथ्य एक सामान हैं। वकील प्रार्थी के निवेदन पर बहस प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थना पत्र के संलग्न समस्त दस्तावेजों व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया तथा बहस वकील प्रार्थी पर बगौर मनन किया गया। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि काश्तकार को अपनी जोत तक पंहुचने के लिए अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा काश्तकार को रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र आवेदक अंतर्गत धारा 251 ए डी. एल. सी. दर का दो गुना भुगतान की शर्त पर स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

–: आदेश :–

आंवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार द्वारा भिजवाई गई प्रस्तावित रास्ता रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक राजस्व/251(क)/2021/619 दिनांक 01.07.2022 के मुताबिक रास्ता कायम करने का आदेश दिया जाता है। अनावेदक गण को आवेदकगण द्वारा रास्ता भूमि बाबत निर्धारित डी. एल. सी. दर से दोगुनी राशि प्रस्तावित खसरा नम्बरान के खातेदारों को भुगतान करने पर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने बाबत तहसीलदार झुंझुनूं को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2024 को टंकण करवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनूं
झुंझुनूं (राज.)